

Terms and Conditions

1. **BRIEF ROLE OF BC SUPERVISOR** :- जिले में कार्यरत BC's के कार्यों का मूल्यांकन (Evaluation) एवं नियमित जांच का कार्य करना।

2. **ELIGIBILITY** :-

- 1) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक/ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त **स्केल-I से IV** तक के अधिकारी इस हेतु आवेदन कर सकेंगे। जिनकी अधिकतम आयु 63 वर्ष तक हो।
- 2) नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी द्वारा यदि कभी ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग कार्य निष्पादित किया गया हो तो ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- 3) आवेदक की अधिकतम उम्र 63 वर्ष तक होनी चाहिए जिन्हें दो वर्ष हेतु संविदा के आधार पर रखा जावेगा। लेकिन नियुक्त अधिकारी के कार्यों की समीक्षा प्रतिवर्ष होगी एवं समीक्षा में उनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अगले दुसरे वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा। इसी के साथ 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।
- 4) आवेदक चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कार्य निष्पादन हेतु सक्षम होना चाहिए ताकि आवेदक आबंटित कार्य का सुगमतापूर्वक निष्पादन कर सके। इसके लिये आवेदक को चिकित्सा अधिकारी से Fitness Certificate प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 5) सर्तकता के दृष्टिकोण से सेवाच्युत/बर्खास्त आवेदक की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
- 6) जिस क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय हेतु बैंक मित्र सुपरवाइजर की नियुक्ति की जानी है, उस क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2. **SERVICE CONDITION** :- बैंक मित्र सुपरवाइजर की नियुक्ति संविदा के आधार पर प्रारम्भ में दो वर्ष के लिये की जायेगी परन्तु एक वर्ष पूर्ण होने पर समीक्षा उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए सेवा का नवीनीकरण किया जायेगा। जो कि पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार में होगा।

3. **REMUNERATION** :- स्केल I से III तक के सेवानिवृत्त अधिकारी की बीसी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति होने पर स्थायी पारिश्रमिक रु 30,000/- एवं एक मुश्त यात्रा खर्च रु 6000/- कुल रु 36,000/- का प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा।

स्केल -IV के सेवानिवृत्त अधिकारी की बीसी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति होने पर स्थायी पारिश्रमिक रु 35000/- एवं एकमुश्त यात्रा खर्च रु 6000/- कुल रु 41000/- का प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा। यात्रा पर किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

4. **TIMING OF BC SUPERVISOR** :- सोमवार से शनिवार - 10:00 AM TO 5:00 PM
प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अवकाश।

5. **HEADQUARTER** :- बैंक मित्र पर्यवेक्षक का सेवा क्षेत्र क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का सेवा क्षेत्र होगा एवं संबंधित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में उनका मुख्यालय रहेगा।

6. **TERMINATION OF CONTRACT** :- बीसी सुपरवाइजर हेतु संविदा आधार पर चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को उनकी सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर बैंक द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या एक महीने का **Gross** पारिश्रमिक का भुगतान करके सेवाएं समाप्त की जा सकती है एवं इसी क्रम में चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी स्वयं द्वारा भी व्यक्तिगत कारणवश एक माह पूर्व नोटिस देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

7. **LEAVE FACILITY** :- चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को वर्ष में 30 दिन का अवकाश प्राप्त होगा। एक साथ 6 दिन से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। एवं 30 दिन से ज्यादा अवकाश लेने पर एक कार्यदिवस के दर से आनुपातिक वेतनमान काटा जायेगा।

8. **REPORTING & MONITORING** :- बैंक मित्र सुपरवाइजर द्वारा माह के दौरान निष्पादित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की 01 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी समीक्षा क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय स्तर पर की जाकर, संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पारिश्रमिक जारी करने अथवा रोकने की अनुशंसा सहित हस्ताक्षरित प्रति प्रधान कार्यालय को अग्रेषित की जायेगी।

9. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को बैंक में स्थाई / अस्थायी / ADHOC BASIS पर पद ग्रहण करने के क्लेम का अधिकार नहीं होगा।

10. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी।

- मान्यता प्राप्त Doctor से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर बैंक को Submit करना होगा।
- Contract की Terms and Condition से बाध्य होने की रू. 500/- के स्टॉम्प पर undertaking बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।
- अगर आप कहीं सेवाएं दे रहे हैं तो नियोक्ता का No Objection Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक से सेवानिवृत्त होने के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति बैंक से सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष के अन्दर है तो बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी Contract के समय बैंक की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की नीति पर चलेगा।

12. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी बीसी सुपरवाइजर व बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को पूर्णतया गोपनीय रखेगा एवं Non-Disclosure Norms का अनुसरण करेगा।

13. कार्य की प्रकृति Contractual basis होने के कारण SC/ST/OBC/PH के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।